हमारा बिहार

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

आदेश

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय एवं बाल विकास परियोजनाओ में लेखाकार्य से संबद्ध सभी कर्मियों को कार्यालयो में नियम संगत प्रावधानो के तहत लेखा कार्यो का संधारण व रख–रखाव हेतु राज्य स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षको का प्रशिक्षण कराया जाना है। ये प्रशिक्षित कमी शेष कर्मी जो परियोजनाओ में लेखा का कार्य करते हैं उन्हें प्रशिक्षित करेगें। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षको द्वारा जिला स्तर पर प्रथम चरण में दो दिवसीय एवं द्वितीय चरण में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं शेष लेखा कार्य से संबद्ध कर्मी प्रतिभागी होगें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु एक विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया गया है जो निम्न है:–

1. सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलता हेतु आई.सी.डी.एस. द्वारा एक Core Team (Pool of Resource Person) का गठन किया गया है।
2. Core Team द्वारा एक प्रशिक्षण सामग्री तैयार किया गया है।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार Core Team द्वारा सभी जिला प्रोग्राम कार्यालय के लेखा कार्य से संबद्ध कर्मियो एवं संबंधित जिला के परियोजनाओ में से दक्ष लेखा कर्मी (जिसे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नामित करेगें) को राज्य स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षको का प्रशिक्षण दिनांक 22.06.2015 से 27.06.2015 तक दो बैचो में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।
4. राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कर्मी मास्टर ट्रेनर होगें, जो जिला स्तर पर परियोजनाओ के शेष लेखा कार्य से संबद्ध कर्मियो व बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो को प्रशिक्षित करेगें। जिला स्तर पर संलग्न प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
5. जिला स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने का दायित्व संबधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का होगा। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में होने वाले व्यय की राशि संलग्न बजट प्राकलन के अनुसार एन.एम.यू. द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त के आलोक में तत्काल सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियो को निदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियो (प्रत्येक जिला के जिला प्रोग्राम कार्यालय के एक एवं परियोजना कार्यालय में लेखा कार्य में दक्ष एक कर्मी को) को भाग लेने हेतु नामित करना सुनिश्चित करेंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देगें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

18/6/15

(बैद्यनाथ यादव)
निदेशक
आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांकः– ICDS/45010/06-2015/ 2530 दिनांकः– 18/06/2015

प्रतिलिपिः– सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, CDPO को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, एन.एम.यू., बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– टीम लीडर B-TAST, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/15
निदेशक